WESTERN RAILWAY

P.S.No.02/2014

Headquarter Office, Churchgate, Mumbai-20

No. E(R&T)890/60/1/LARSGESS

Date:22.01.2014

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- ZG-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai

C/- ZG-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Eligibility conditions under LARSGESS for specified safety categories in GP 1900 and Assessment Committee - Clarification thereon.

=======

A copy of Railway Board's letter No.E(P&A)I-2012/RT-5 dt.03.01.2014 (R.B.E.No.03/2014) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

APO(R&T)

For General Manager (E)



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

RBE No. 03 /2014

No. E(P&A)I-2012/RT-5

New Delhi dated 03.01.2014.

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub:_Eligibility conditions under LARSGESS for specified safety categories in GP 1900 and Assessment Committee - Clarification thereon.

Ref: Board's letter Nos. E(P&A)I-2010/RT-2 dated 28.06.2011.

Few Zonal Railways had sought clarification regarding the eligibility conditions for seeking the benefit of LARSGESS and also the level of Assessment Committee in respect of specified safety categories in GP1900. This issue has also been raised by the Employees' Federations.

- 2. The matter has been considered by the Board. In partial modification of the instructions contained in para 4 of Board's above referred letter it has been decided that the wards of employees in specified safety categories in GP 1900 (other than Drivers) may be adjudged by an Assessment Committee consisting of 3 JAG Officers at Divisional level instead of an Assessment Committee of 3 SAG Officers at Zonal level.
- 3. These instructions are applicable for retirement/recruitment cycle from January June 2014 onwards only. The past cycles will be governed by the earlier instructions.
- 4. The other terms and conditions of the Scheme will remain the same.
- 5. Kindly acknowledge receipt.

(K. Shankar) Director Estt.(P&A)

Railway Board.

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं.03/2014

नई दिल्ली, दिनांक 03.01.2014

सं. ई(पी एण्ड ए)1-2012/आरटी-5

महाप्रवेधक, पुरु रेक, सुम्बर्ड सभी भारतीय रेले.

विषय- ग्रेड पे 1900 रुपए की विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों के लिए एलएआरएसजीईएसएस के अंतर्गत पात्रता की शर्तें और उससे संबंधित निर्धारण समिति के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ वीर्ड का दिनांक 28.06.2011 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)1-2010/आरटी-2

कुछ क्षेत्रीय रेलों ने एलएआरएसजीईएसएस का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रत्रा की शर्ती और ग्रेड पे 1900 रुपए की विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों के संबंध में निर्धारण समिति के स्तर के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे को कर्मचारी संघों द्वारा भी उठाया गया है।

- 2. बोई द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है। बोई के ऊपर उल्लिखित पत्र के पैरा 4 में निहित अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि ग्रेड पे 1900 रुपए की विनिर्दिष्ट संरक्षा कोटियों में कार्यरत कर्मचारियों (ड्राइवरों को छोड़कर) के आश्रितों के संबंध में जोनल स्तर के 3 एसएजी अधिकारियों की निर्धारण समिति के स्थान पर मंडल स्तर के 3 जेएजी अधिकारियों की निर्धारण समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।
- 3. ये अनुदेश जनवरी जून 2014 से होने वाली सेवानिवृत्ति/भर्ती मामलों के लिए ही लागू होंगे। पिछले मामले, पूर्व अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।
- इस-प्रणाली की अन्य निबंधन एवं शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।
- कृपया पावती दैं।

के. शंकर)

निदेशक स्था. (पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड